संख्या-115 /2026/695/आठ-1-26-001-1754830

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2026**

विषयः- अयोध्या शहर के तहसील सोहावल स्थित सुरवारी झील का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सम्बंधी परियोजना के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-98/2024/1191/001-1191-2024 दिनांक 16.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या शहर के तहसील सोहावल स्थित सुरवारी झील का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सम्बंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 480.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 240.13 लाख अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बंध में उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-163/अयो0वि0प्रा0-अभि0/2025-26 दिनांक 12.06.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या शहर के तहसील सोहावल स्थित सुरवारी झील का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सम्बंधी परियोजना की निविदा के अनुसार आंकलित अन्तिम लागत धनराशि रू0 387.53 लाख के सापेक्ष अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 147.40 लाख (रूपये एक करोड़ सैतालिस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित की जाय एवं प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुयी मुख्य सामग्री (सीमेंट, ग्रिट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाय। जी0एस0टी0 के सम्बंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(9) प्रायोजन्तर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या कार्यदायी संस्था होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।

(10) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(11) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बंधित संस्था द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यक पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित सड़क/नाली आदि कार्यो का लेविल उचित प्रकार निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि आस-पास निर्मित भवनों की जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके और किसी प्रकार की जलभराव/यातायात असुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो।

(13) अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(15) भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।

(16) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यो की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया हैं। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(17) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था- अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम

http://shasanadesh.up.nic.in

नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अयोध्या में प्रस्तावित कार्य को सही स्थल पर, मानक अनुरूप व गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जाए, कार्य के पूर्व, दौरान व उपरान्त के गूगल मैप फोटो (जियो कोआर्डीनेट्स व दिनांक के अंकन सहित) रक्षित किये जाए व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(20) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17-(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(21) कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/77 दिनांक 22.03.2021 का यथाआवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(22) कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करते समय पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य सुसंगत IRC /लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के मानकों के अनुरूप है।

(23) कार्यदायी संस्था/ अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/File No. 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for uninversal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(24) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अध्यासि पूर्ण होने के उपरांत ही प्रायोजना के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि/डे जीरो निर्धारित किया जाय।

(25) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बॉट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एंव स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में आना स्वभाविक है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(27) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा तथा इस मद में वास्तविक व्यय ही देय होगा।

(28) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(29) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-04-अयोध्या का सर्वांगीण विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या-115/2026/695(1)/आठ-1-26-1754830 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (परीक्षा-लेखा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ई मेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in